


226



# न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर

१९०९-५-१७

प्र०क० R ..... 11/17

श्री शुभल शर्मा  
द्वारा आज दि 17-3-17 को  
प्रस्तुत

वत्स  
क्लर्क ऑफ कोर्ट  
राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर

राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर  
क्लर्क ऑफ कोर्ट  
प्रति  
शुभल शर्मा  
॥

- 1-शराफत अली पुत्र बशीर अली
  - 2-फरीदा बेगम पत्नी शराफत अली
- निवासी पुराना अस्पताल चीलघर के पीछे वार्ड नं० 13 श्योपुर तह० व जिला श्योपुर म०प्र०

.....आवेदक

बनाम

दिलदार पुत्र मुनीर खॉ निवासी  
शीतला पाडा श्योपुर तहसील व  
जिला श्योपुर म०प्र०

.....अनावेदक

निगरानी विरुद्ध आदेश दिनांक 22/02/2017

न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय

श्योपुर के प्र०क० 264/12-13×दी/121 निगरानी

अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959

श्रीमान जी,

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में निम्नलिखित प्रस्तुत है -

- 1- यह कि वार्ड क० 13 श्योपुर स्थित आवास क० 20 साइज 20×30 भूमि सर्वे क० 623 का म०प्र० नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना अधिनियम 1984 के अन्तर्गत वर्ष 1998 में आवास हेतु पट्टा आवेदक को प्रदान किया गया था।
- 2- यह कि उक्त आवासी प्लाट पर पट्टा दिनांक के पश्चात भवन निर्माण कर आवेदक अपने मय परिवार के निवास कर रहा है।
- 3- यह कि अनावेदक द्वारा असत्य आधार पर 15 वर्ष पश्चात दिनांक 26/08/2013 को एक आवेदन पत्र आवेदक के आवास पट्टे को निरस्त



न्यायालय राजस्व मण्डल, म० प्र०, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक-निग.909-दो/2017

जिला श्योपुर

शराफत अली अन्य विरुद्ध दिलदार

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 22-08-19         | <p>प्रकरण आज लिया गया। आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी जिला श्योपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 264/2012-13-वी/121/निगरानी में पारित आदेश दिनांक 22.02.2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म०प्र० भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27-07-2018 को हुए नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25-09-18 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54 (क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला - श्योपुर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2- पक्षकार दिनांक 15-10-19 को कलेक्टर, के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p> <p></p> <p><br/>(जे० के० जैन)<br/>सदस्य</p> |                                          |